अनवान राजा देवी बनाम जमना राम व अन्य
वाद पत्र संख्या 104/20232

30.04.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता वादिया ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि – उक्त अनवानी प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में नवीन तथ्य का समावेश किया गया, जिनका जवाब दिया जाना आवश्यक है। इसलिए जवाबुल पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे ताकि वादिया अपना जवाबुल जवाब पेश कर सके। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी पेश करके निवेदन है कि जवाबुल जवाब रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब बहस मे कथन किए कि– प्रतिवादीगण की तरफ से जवाबुल जवाब अभिलेख पर लिए जाने हेतु वादिया ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह कानून की मंशा के सर्वथा विपरित प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी में प्रपोज्ड स्टेटमेन्ट कथन करना होता है। तत्पश्चात न्यायालय के विवके पर आधारित होता है, जबकि प्रतिवादीगण ने वादिया के वाद पत्र के कथनों का विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्याख्यानित करते हुए स्पष्टीकरण किया है, स्पष्टीकरण से सम्बन्धित कथनों की तुलना नये कथनों से करना, वादिया को जवाबुल जवाब पेश करने का अधिकार नहीं देता है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– 1. हनुमान द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम श्रीमती सीमा आदि CJ(CIVIL) RAJ. 2016(2) PAGE 983. आदेश 8 नियम 9 जवाबुल जवाब पेश करने की व्याप्ति–प्रत्यर्थी द्वारा लिखित कथन पेश किये जाने के पश्चात अभिवचनों के अनुसरण में अनुमति प्रदान करने या नहीं करने का विवेकाधिकार न्यायालय में निहित है, लेकिन विवेकाधिकार न्यायालय का है लेकिन विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2023 विधि में दिए गए प्रावधानों को अनेदखा करते हुए प्रस्तुत किया गया है, को 10000/– रूपये के खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017(2) CIVIL COURT CASES 678 (RAJASTHAN) RAJASTHAN HIGH COURT पेश किये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

उपरोक्त विवेचन से नये तथ्य प्रस्तुत न किये जाकर वाद के तथ्यों का ही स्पष्टीकरण किया जाना प्रथमतः प्रतीत होता है। अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाकर पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब हेतु दिनांक 20.05.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:45 IST
Reason: SelfAttested